"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 119] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 अप्रैल 2010— चैत्र 25, शक 1932

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-22/2009/42.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. नियम 2 के खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-
(ज) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जिसे शासन द्वारा सेवा या पदों में नियुक्ति करने के लिए नामांकित किया गया हो.

2. नियम 6 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
(क) मेरिट के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा.

3. नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
(छ) "शहीद राजीव पांडे पुरस्कार", "गुण्डाधुर तथा महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान" प्राप्त अभ्यर्थियों तथा "राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

4. नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-
(ज) किसी भी मामले में उपरोक्तानुसार एक या एक से अधिक संवर्ग के अधीन आयु में छूट दिये जाने के उपरांत शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

5. विद्यमान अनुसूची-एक, दो, तीन एवं चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :-

अनुसूची – एक
(नियम 5 देखिए)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कर्मशाला सहायक	209	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1400)	संचालक/ संयुक्त संचालक या समकक्ष प्राधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो या आई. टी. आई. से संबंधित प्राचार्य।	प्रत्येक संस्था में कर्मशाला सहायक के स्वीकृत पदों को निम्नलिखित ट्रेड से. क्रमानुसार भरा जायेगा: 1. पद–विद्युतकार 2. पद–वेल्डर 3. पद–फिटर 4.पद–मोटर मेकेनिक/डीजल मेकेनिक/ट्रेक्टर मेकेनिक /ड्राइवर कम मेकेनिक (इनमे से काई एक) 5. पद– कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग अस्सिटेंट (कोपा), डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/मेकेनिकल कम्प्यूटर हार्डवेयर (इनमे से कोई एक) 6. पद–इलेक्ट्रॉनिक्स 7. पद– वायरमेन 8.पद– कटिंग एवं टेलरिंग/ड्रेस मेकिंग/फैशन टेक्नालॉजी/स्टेनो हिन्दी/स्टेनो अंग्रेजी (इनमे से काई एक) यदि किसी संस्था में आठ से अधिक पद स्वीकृत हो तो उपरोक्तानुसार भरे जायेगें।
2	वाहन चालक, संचालनालय	01	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1400)	संचालक/संयुक्त संचालक या समकक्ष प्राधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो या आई. टी. आई.से संबंधित प्राचार्य।	—
3	दफ्तरी	01	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1400)	संचालक/संयुक्त संचालक या समकक्ष प्राधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो या आई. टी. आई.से संबंधित प्राचार्य।	—
4	चतुर्थ श्रेणी	572	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440 (ग्रेड वेतन 1300)	संचालक/संयुक्त संचालक या समकक्ष प्राधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभार रखता हो या आई. टी. आई.से संबंधित प्राचार्य।	—

अनुसूची – दो
(नियम 6 देखिए)

स. क.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदो की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा, नियम (6) (1) (ग) देखिये
			सीधी भर्ती द्वारा, नियम–6 (1) (क)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, नियम 6 (1) (ख)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कर्मशाला सहायक	209	100%	–	–
2	वाहन चालक, संचालनालय	01	100%	–	–
3	दफ्तरी	01	–	100%	–
4	चतुर्थ श्रेणी (भृत्य, स्वीपर, चौकीदार)	572	100%	–	–

अनुसूची – तीन
(नियम 8 देखिए)

स. क.	सेवा या पद का नाम	आयु सीमा		शैक्षणिक अर्हताएं
		न्यूनतम	अधिकतम	
1	कर्मशाला सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त मण्डल से 8वीं बोर्ड या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से अनुसूची–एक के कॉलम (7) में दर्शाये ट्रेड में, अखिल भारतीय ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण या अनुसूची–एक के कॉलम (7) में वर्णित ट्रेडों में अखिल भारतीय शिक्षुता परीक्षा उत्तीर्ण।
2	वाहन चालक, संचालनालय	18 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त मण्डल से 8वीं बोर्ड या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. हल्के/भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए।
3	चतुर्थ श्रेणी (भृत्य, स्वीपर, चौकीदार)	18 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त मण्डल से 5वीं बोर्ड या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। टीपः– ये पद अंतर–परिवर्तनीय है।

अनुसूची – चार
(नियम 11,13 एवं 14 देखिए)

स.क्र.	सेवा के पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव	सेवा के पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति/भर्ती समिति का पदनाम
1	कर्मशाला सहायक	5 वर्ष	प्रशिक्षण अधिकारी (ट्रेड/इंजीनियरिंग ड्राईंग/वर्कशाप केलकुलेशन एवं साईंस/एलाइड ट्रेड)	**पदोन्नति/भर्ती समिति द्वारा** 1. संयुक्त संचालक 2. उप संचालक (प्रशिक्षण) 3. सहायक संचालक (प्रशिक्षण)
2	चतुर्थ श्रेणी (दफ्तरी सहित)	5 वर्ष	सहायक ग्रेड–3	**पदोन्नति/भर्ती समिति द्वारा** 1. संयुक्त संचालक 2. उप संचालक (प्रशिक्षण) 3. सहायक संचालक (प्रशिक्षण)
3	चतुर्थ श्रेणी (भृत्य, स्वीपर, चौकीदार)	3 वर्ष	दफ्तरी	**पदोन्नति/भर्ती समिति द्वारा** 1. संयुक्त संचालक 2. उप संचालक (प्रशिक्षण) 3. सहायक संचालक (प्रशिक्षण)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नारायण सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 1–22/2009/42.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना एफ 1–22/2009/42, दिनांक 15.04.2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नारायण सिंह, सचिव.

Raipur, the 15th April 2010

NOTIFICATION

No. F 1-22/2009/42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following Amendment in the Chhattisgarh Industrial Training (Class-IV) Service Recruitment Rule, 2005, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After clause (g) of rule 2, the following clause shall be inserted, namely:-
   (h) "Appointing Authority" in respect of service means such authority nominated to make appointment to services or posts by the Government.
2. For clause (a) of sub-rule (1) of rule 6, the following clause shall be substituted, namely:-
   (a) By direct recruitment through merit.
3. For clause (g) of sub-rule (1) of rule 8, the following clause shall be substituted, namely:-
   (g) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of the "Shaheed Rajiv Pandey Award", "Gundadhur and Maharaja Praveer Chand Bhanjdeo awards" holder candidates and "National Youth Award" holder young candidates.
4. After clause (g) of sub-rule (1) of rule 8, the following clause shall be inserted, namely:-
   (h) In any case the maximum age to get eligible for Government job shall not exceed 45 years, irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.
5. For existing schedule-I, II, III and IV, the following schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE - I
(See Rule-5)

S.No	Name of the Post Included in the Service	No. of the Posts	Classification	Pay Band/ Grade Pay	Appointing Authority	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Workshop Attendant	209	Class-IV	4750-7440 (Grade pay 1400)	Director/ Joint Director or equivalent authority holding the charge of Establishment Section or the principal of the relating I.T.I.	Sanctioned posts of workshop attendant in each institute shall be filled up serially from the following trade. 1. Post-Electrician 2. Post-Welder 3. Post-Fitter 4. Post- (any one from) Motor mechanic/Diesel mechanic/Tractor mechanic/Driver cum mechanic. 5. Post- Computer operator & Programming Assistant (COPA) Data entry Operator/Mechanical Computer Hardware (One from these) 6. Post-Electronics 7. Post- Wireman 8. Post-Cutting Tailoring/ Dressmaking/Fashion Technology/ Steno Hindi/Steno English (any one from these) If any institution more than 8 sanctioned posts shall be filled up as per above.
2	Driver, Directorate	01	Class-IV	4750-7440 (Grade pay 1400)	Director/ Joint Director or equivalent authority holding the charge of Establishment Section or the principal of the relating I.T.I.	
3	Daftari	01	Class-IV	4750-7440 (Grade pay 1400)	Director/ Joint Director or equivalent authority holding the charge of Establishment Section or the principal of the relating I.T.I.	
4	Class-IV	572	Class-IV	4750-7440 (Grade pay 1300)	Director/ Joint Director or equivalent authority holding the charge of Establishment Section or the principal of the relating I.T.I.	

SCHEDULE – II

(See Rule-6)

S.No	Name of the Post Included in the Service	No. of Sanctioned Posts	Percentage of the Number of Posts to be filled		By temporary transfer of the persons from other services vide rule (6) (1) (c)
			By Direct recruitment Rule 6 (1) (a)	By Promotion of the members of the service Rule 6 (1) (b)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Workshop Attendant	209	100 %	–	–
2	Driver, Directorate	01	100 %	–	–
3	Daftari	01	–	100%	–
4	Class-IV (Peon, Sweeper, Chowkidar)	572	100 %	–	–

SCHEDULE - III
(See Rule-8)

S.No	Name of the Service or post	Age limit		Educational Qualification
		Min.	Max.	
1	Workshop Attendant	18 Year	35 Year	1.Passed 8th board or equivalent examination from recognized Board. 2.All India Trade Test passed from the Industrial Training Institute recognized by National Council Vocational Training in the Trade mentioned in column (7) of schedule I or All India Apprentice Examination passed in trades mentioned in column 7 of Schedule-I.
2	Driver, Directorate	18 Year	35 Year	1.Passed 8th board or equivalent examination from recognized Board. 2. Should have a license of Driving light/heavy Vehicles.
3	Class-IV (Peon, sweeper, Chowkidar)	18 Year	35 Year	1.Passed 5th board or equivalent examination from recognized Board. Note:- These posts are Interchangeable.

SCHEDULE - IV
(See Rule-11,13 & 14)

S.No	Name of service of post from which promotion is to be made	Experience required for promotion	Name of service of post to which promotion is to be made	Designations of the Departmental Promotion/ Recruitment Committee
1	Workshop Attendant	5 years	Training Officer (Trade/Engineering Drawing/workshop calculation & Science/Allied trade)	**By Promotion/ Recruitment Committee** 1. Joint Director 2. Deputy Director (Training) 3. Assistant Director (Training)
2	Class-IV (including Daftari)	5 years	Assistant Grade-3	**By Promotion/ Recruitment Committee** 1. Joint Director 2. Deputy Director (Training) 3. Assistant Director (Training)
3	Class-IV (Peon, Sweeper, Chowkidar)	3 years	Daftari	**By Promotion/ Recruitment Committee** 1. Joint Director 2. Deputy Director (Training) 3. Assistant Director (Training)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NARAYAN SINGH, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.